International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
Jan-Feb- 2018, Volume-5, Issue-1 P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

भारतीय महिलाओं के उत्थान में गैर सरकारी संगठन और मानवाधिकार के योगदान का विश्लेषण

Dr. Vijay Kumar,
Assistant Professor,
B.S.M. Law College Roorkee

सार–
भारत में लोगों को प्रदत्त कानूनी सहायता में एनजीओ की भूमिका सराहनीय है। इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में स्वीकार किया गया है। इन संगठनों द्वारा जहाँ एक ओर सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में सहयोग दिया है वहीं दूसरी ओर महिलाओं को उनके अधिकारों के सम्बन्ध में सचेत करने हेतु कई कार्यक्रम चलाये गये हैं। महिलाओं की साक्षरता वृद्धि, स्कूलों की संख्या में वृद्धि, स्कूलों में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को छात्रवृत्ति तथा अन्य रियायतें देने जैसे प्रयासों के अतिरिक्त पूर्ण साक्षरता में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कामकाजी लड़कियों और महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का संचालन मुख्यतया स्वयंसेवी संगठनों से संचालित होता है। पूर्ण साक्षरता मिशन की योजनाओं पर अमल के दौरान साक्षरता के साथ–साथ महिलाओं को उनके सुविधाओं के बारे बताया गया। सामाजिक कुरीतियों व शोषण का मुकाबला करने, अपने बच्चों विशेषकर लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने का भाव जाग्रत किया गया। इसके अतिरिक्त मदिरापन, पर्यावरण प्रदूषण, अंधविश्वास तथा सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाने का विश्वास भी उनमें जाग्रत हुआ। ये सभी उद्देश्य स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी से ही प्राप्त किये जा सकते हैं।

प्रस्तावना–

''यत्र नार्यस्तु पुज्यंते रमन्ते तत्र देवताः''

अर्थात जहां नारी की पूजा होती हैं वहां देवता निवास करते हैं। नारी एक वह पहलू हैं जिसके बिना किसी समाज की रचना संभव नही हैं। समाज में नारी एक उत्पादक की भूमिका निभाती हैं। नारी के बिना एक नये जीव की कल्पना भी नही कर सकते अर्थात नारी एक सर्जन हैं, रचनाकार हैं। यह कुल जनसंख्या का लगभग आधा भाग होती हैं फिर भी इस पित्रसत्तात्मक समाज में उसे हीनदृष्टि से देखा जाता हैं। पुत्र जन्म पर हर्ष तथा पुत्री जन्म पर संवेदना व्यक्त की जाती हैं। भारतीय समाज में आज भी पुत्रों को पुत्रियों से अधिक महत्व दिया जाता हैं। कुछ क्षेत्रों में जहां यह बदलाव सम्मानजनक एवं सकारात्मक हैं, वहां वही अधिकांश जगहों पर ये बदलाव महिलाओं के प्रतिकूल साबित हो रहे हैं। आज महिलाओं के पिछडेपन के कई कारण हैं जिनमें से एक बडा कारण उनका अशिक्षित होना हैं। समाजशास्त्रियों ने कहा है कि ''दस पुरूषों की तुलना में एक महिला को शिक्षित करना ज्यादा महत्वपूर्ण हैं।

भारत में पुरूष एवं महिला साक्षरता दर–1951 से 2011

वर्ष	पुरूष	महिलाएं	व्यक्ति	अंतर
1951	27.2	8.9	18.3	18.3
1961	40.4	15.4	28.3	25.0
1971	46.0	22.0	34.4	24.0
1981	56.4	29.8	43.6	26.6
1991	64.1	39.3	52.2	24.8
2001	75.3	53.7	64.8	21.6
2011	82.1	65.5	74.0	16.7

इस तालिका से ज्ञात होता है कि आजादी से आज तक साक्षरता के संदर्भ में काफी बढ़ोत्तरी देखी जा रही है लेकिन पुरूषों की तुलना में आज भी 16.7 प्रतिशत कम है, जो उनके पिछडेपन, शोषण तथा उत्पीडन का मुख्य कारण हैं। हालांकि केन्द्र एवं राज्य सरकारो ने इस संबंध में कई प्रयास किए हैं किंतु इसमें वे पूर्णरूपेण सफल नही हो पाए हैं। जाहिर हैं योजनाओं की सफलता के लिए उसके लाभार्थियों का सहयोग भी उतना ही अहमियत रखता हैं जितनी कि अन्य बाते। महिलाएं पुरूषों से किसी भी तरह से कमजोर नही हैं परंतु इसका एक दूसरा पहलू भी हैं। गत वर्षो में महिलाओं के अधिकारों का जितना उलंघन हुआ हैं शायद पहले कभी नही हुआ। समाज व राज्य की विभिन्न गतिविधियों में पर्याप्त सहभागिता के बावजूद इनके साथ अभद्र व्यवहार, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल, सडको, सार्वजनिक यातायात एवं अन्य स्थलों पर होने वाली हिंसा में वृद्धि हुई हैं, इसमें शारीरिक, मानसिक एवं यौन शोषण भी शामिल हैं। दैनिक समाचार पत्रों में दिन–ब–दिन की घटनाएं छपी होती है जो महिलाओं से संबंधित होती है जैसे– बलात्कार, दहेज के लिए बहू को जलाना, प्रताड़ित करना तथा बालिका का भ्रुणहत्या, अपहरण, अगवा करना आदि। यह सच हैं कि आज महिलाओं ने अपने आपको मुख्य धारा में शामिल कर लिया हैं परंतु उनके इस विकास में उनकी दृढ इच्छा शक्ति के साथ मीडिया और भारतीय फिल्मों का भी अत्यंत योगदान हैं जो मानसिकतौर पर नारी को निरंतर विकास की ओर गतिशील किया हैं। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को समाज में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया हैं। वैदिक युग में पिता अपनी पुत्री के विवाह के समय उसे आशिर्वाद देता था कि वह सार्वजनिक कार्य और कलाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करे। सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण पड़ाव महिलाओं की उसी ओजस्विता और रचनात्मकता पर आधारित रहे हैं। वस्तुतः भारत दुनिया के उन थोडे से देशों में से हैं जहां की संस्कृति और इतिहास में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त हैं और जहां मनुष्य को मनुष्य बनाने में उनके योगदान को स्वीकार किया गया हैं किंतु विभिन्न कारणों से कालांतर में भारतीय समाज में महिलाओं की पारिवारिक सामाजिक स्थिति निरंतर कमजोर होती हैं और पुरूष समाज द्वारा आरोपित मर्यादा और अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया गया हैं। मानवाधिकार एक ऐसा विषय है जो कि विश्व के सभी लोगों को मानव समुदाय का सदस्य होने के नाते अधिकार प्रदान करता है अर्थात मानवाधिकार के तहत सभी व्यक्तियों को बिना किसी विभेद के समान अधिकार प्राप्त होते है। परंतु इसी के समाने समाज के

कुछ वर्गों जिनमें विशेषतः महिलाएं, बच्चे, अल्पसंख्यांक एवं शरणार्थी वर्ग को रखा जा सकता है लेकिन अध्ययन के दृष्टकोण से महिलाओं के संदर्भ में विवेचन करने का प्रयास किया गया है। महिलाएं जो कि समाज की जनसंख्या का लगभग आधा भाग है। महिलाओं की स्थिति एवं दर्जा भारत में ही नहीं विश्व के सभी देशों में प्राचीन काल से ही दयनीय रही है। महिलाओं के साथ हमेशा ही अत्याचार किय जाते रहे है। महिलाओं का अशिक्षित होना एवं आर्थिक स्तर पर भी विविध प्रयास किये जा रहे है, जिसके कारण परिणाम सकारात्मक देखे जा रहे है। आज विश्व में महिला साक्षरता का प्रतिशत दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।

सर्वविदित है कि किसी भी समाज के निर्माण एवं विकास में महिला और पुरूष दोंनों की परस्पर सहभागिता व साझेदारी अत्यंत आवश्यक है। महिला व पुरूष को समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए के समान माना गया है। अतः समाज के विकास एवं निर्माण के लिए महिला एवं पुरूष की सहभागिता अनिवार्य होती है। विकास के साथ ही साथ नैसर्गिक सिंद्यांत की पालना एवं पर्यावरण संतुलन के लिए अति आवश्यक है। महिलाओं के अधिकार की कमी मानव सभ्यता के साथ होती गई और समय के साथ ही साथ महिलाओं के आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन रहा है। यह एक प्रमाणित तथ्य है कि दुनियां में सबसे अधिक अपराध और अत्याचार महिलाओं के खिलाफ ही होते रहे है। इस परिप्रेक्ष्य में महिलाएं और मानवाधिकार दोनों काफी महत्वपूर्ण हो जाते है। विश्व के लगभग सभी देशों में महिलाओं के लिए विशेष अधिकार दिये गये है, ताकि वे सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। मानवाधिकारों के नजरिये से महिलाओं को विशेष रूप से व्यवहार करने योग्य माना गया है। महिला आन्दोलन के इस दौर में एक ओर महिलाओं को अधिकाधिक अधिकार दिये जाने की कवायद चल रही है वहीं दूसरी ओर महिलाओं के बीच भी अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूकता बढ़ी है। महिलाओं के मानवाधिकार का हनन मात्र अपराधी ही नहीं करते है अपितु पुलिस व सुरक्षा बल भी इस मामले में ज्यदा पीछे नहीं है। महिलाओं को आमतौर पर अपराध की दृष्टि से बेहद आसान लक्ष्य माना जाता है इसीलिए महिलाओं के विरूद्ध दुनिया भर में अपराध बढ़ रहे है। चाहे घर हो या बाहर, स्कूल हो या कार्यस्थल महिलाओं को हर जगह विविध प्रकार के अपराधों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी समय समय पर काफी प्रयास किये है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना में कहा गया है कि ''हम संयुक्त राष्ट्रों के लोग....मूलभूत मानवाधिकारों में, मानव व्यक्ति की गरिमा व मूल्यों में तथा महिला व पुरूषों के समान अधिकरों में आस्था व्यक्त करते है.....।'' इस प्रकार कहा जा सकता है संयुक्त राष्ट्र चार्टर में महिलाओं की समानता के अधिकारों की घोषणा की गई है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की ''मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषण–पत्र'' में भी महिलाओं को बिना भेदभाव के अधिकरों की प्राप्ति का अधिकारी माना गया है।

महिलाओं को आर्थिक शोषण से बचाने के कानून बनाने के साथ–साथ सरकार द्वारा उन्हें रोजगार दिलाने, स्वयं रोजगार शुरू करने तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की योजनाएं चलाई गयी हैं। इन योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में गैर–सरकारी संगठनों का अत्यधिक सहयोग रहता है। स्वैच्छिक संगठनों द्वारा राष्ट्रीय महिला कोष से ऋण लेकर इस राशि को जरूरतमंद महिलाओं को कर्ज के रूप में दिया जाता है जिससे बड़ी संख्या में निर्धन और अभावग्रस्त महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुई हैं। कई ऐच्छिक संगठनों द्वारा पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान कर न्याय दिलाने की कोशिश की गयी है। अदालतों में अपने मामले ले जाने वाली साहसी महिलाओं को नैतिक समर्थन देने में भी महिला संगठन आगे आये हैं। राष्ट्रीय महिला

आयोग द्वारा भी महिलाओं को जागरुक बनाने के अपने कार्यक्रमों में ऐच्छिक संगठनों का सहयोग लिया जाता रहा है। आयोग पारिवारिक महिला लोक–अदालतों के आयोजन, वेश्याओं की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों में सुधार, महिला कैदियों की स्थिति बेहतर बनाने जैसे सभी प्रकार के कार्यक्रमों को ऐच्छिक संगठनों के परामर्श तथा सहयोग से चलता है। सही जानकारी व चेतना के अभाव में ही अधिसंख्यक महिलाएं अपने लिए उपलब्ध अवसरों तथा अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करती। इस हेतु केन्द्रीय समाज बोर्ड, महिला एवं बाल विकास, एवं आयोग द्वारा नियमित रूप से जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाते हैं। इन समस्त कार्यों में गैर संगठनों की प्रमुख और सक्रिय भूमिका है। कतिपय संगठनों का योगदान निम्नवत् है।

आल इण्डिया वुमेन्स कान्फ्रेंस

आल इण्डिया वुमेन्स कान्फ्रेंस की स्थापना 1925 में हुई। 1930 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। सम्पूर्ण भारत में इसकी 500 शाखाएं हैं, और इसके सदस्यों की संख्या 1 लाख है। इस संगठन की स्थापना का श्रेय 'श्रीमती मार्गरेट कजिंस' को है। इन्होंने पूरे देश की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए छोटे–छोटे संगठन बनाने तथा उसमें विचार विमर्श पर बल दिया। प्रथम आल इण्डियन वुमेन्स कान्फ्रेंस 1927 पूना में हुआ। द्वितीय दिल्ली में 1928 में हुई। इस कान्फ्रेंस के द्वारा ही आल इण्डिया एजूकेशन फण्ड की स्थापना हुई, तत्पश्चात् इसके द्वारा लेडी इरविन कालेज की स्थापना हुई। तृतीय कान्फ्रेंस सन् 1938 में पटना में हुई। इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में भगवान दास रोड पर है। संगठन के उद्देश्य एवं कार्य निम्न हैं–

- ऐसे समाज हेतु काम करना जो सामाजिक न्याय, पारस्परिक एकता तथा सभी के लिए समान अवसर एवं समान अधिकारों पर अवलम्बित है।
- प्रत्येक मानव के आधारभूत अधिकारों की सुरक्षा करना और उन्हें जीवन हेतु भोजन, वस्त्र, शिक्षा, सामाजिक सुविधाएं, मकान सुरक्षा इत्यादि प्रदान करना।
- राष्ट्रीय एकता की भावना पर बल देते हुए अलगाववादी ताकतों का विरोध करना।
- महिलाओं व बच्चों की उन्नति एवं भलाई के लिए कार्य करना, महिलाओं को कानून में दिये गए अधिकारों का उपयोग करने में सहायता देना।
- उपरोक्त को लागू करने में संस्थाओं को सहयोग देना।

आल इण्डिया वुमेन्स एजुकेशनल फण्ड एसोसियेशन

इस संगठन की स्थापना 1929 में हुई तथा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के (1860) अंतर्गत पंजीकृत हो गया। इस संगठन का उद्देश्य किसी ऐसे प्रस्ताव को बढ़ाना व सहायता प्रदान करना है जो कि भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए हो। इसके अन्य उद्देश्य प्रत्येक स्तर के शिक्षकों, प्रबंधकों, अधिकारियों व नियोजकों को शिक्षा देना है जो कि ऐसे संगठन में कार्यरत रहे हों, जो परिवार एवं बच्चों के विकास के लिए कार्य कर रहा हो। ग्रामीण परिवार के विकास एवं सफाई स्वास्थ्य के लिए जागरूक हो प्रारम्भिक शिक्षा हेतु अच्छी एवं उपयोगी पुस्तकें उपलब्ध कराना जो कि क्षेत्रीय या राष्ट्रीय भाषा में टंकित की गयी हो तथा शिक्षण की विधियों में विकास के लिए योजना को बढ़ावा देना तथा गाँव में पढ़ा रही महिला शिक्षिका को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करना है तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्नातक एवं स्कूली बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करता है।

कस्तूरबा गाँधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट

यह नेशनल स्तर का एनजीओ है। इसका मुख्यालय कस्तूरबा नगर (इन्दौर म.प्र.) में है। सन् 1945 में इसकी स्थापना हुई तथा जनता ट्रस्ट 1951 के अनुसार 1964 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। इसके उद्देश्यों एवं कार्यों में प्रमुख हैं–महिलाओं एवं बच्चों हेतु अस्पताल बनवाना, दवाखाना खोलना, कल्याण केन्द्र खोलना, स्वच्छता की सुविधाएं प्रदान करना, बच्चों एवं महिलाओं के रोगी की रोकथाम करना, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योगों में महिलाओं को प्रशिक्षण देना।

सेल्फ एम्प्लायड वुमेन्स एसोसियेशन

इस संगठन का पंजीकरण 1927 में हुआ, यह एक व्यापारिक संगठन है जिसका कार्य स्वरोजगारी महिलाओं को अनेक उचित विकास के लिए व्यापार हेतु उचित अवसर प्रदान करना। रोजगारी महिलाओं को व्यापार के अधिक अवसर दिलाने के लिए यह संगठन सर्वेक्षण, शोध इत्यादि का प्रबन्ध करती है। कार्यकारी महिलाओं का बड़े व्यापारियों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कराने में सहायता करती है इत्यादि।

यंग वुमेन्स क्रिश्चियन ऐसोसियेशन

महिलाओं के कल्याण हेतु यह एक राश्ट्रीय स्तर का संगठन है। इसकी स्थापना सन् 1973 एवं पंजीकरण 1975 में हुआ। इस संगठन का कार्य एवं मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की नैतिक, सामाजिक और शारीरिक विकास की व्यवस्था करना है।

यंग वुमेन्स वेलफेयर एसोसियेशन

सन् 1953 में इस संगठन की स्थापना की गयी तथा इसका पंजीकरण सन् 1977 में हुआ। यह एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जो महिलाओं के स्तर को ऊँचा उठाने, उन्हें समाज में समानता का अधिकार दिलाने के लिए कार्य करता है। इस संगठन का लक्ष्य औरतों के सामाजिक, आर्थिक व राजनीति विकास की सुरक्षा करना एवं उसको बढ़ावा देना,अधिकारों एवं कर्तव्यों के सम्बन्ध में महिलाओं को जागरूक करना, संसद, विधानसभा एवं नगर महापालिका में इनके स्थान की सुरक्षा करना, विभिन्न विचारधाराओं की महिलाओं में सांस्कृतिक सामाजिक शैक्षिक गतिविधियों द्वारा एकता स्थापित करना एवं जरूरतमंद महिलाओं को उचित एवं अनुचित के बारे में शिक्षा प्रदान करना। इसके कार्यक्रमों में एक 'स्टडी सर्किल' है। पन्द्रह दिन या एक महीने में एक गोष्ठी का आयोजन होता है, जिसमें विचार विमर्श होता है। यह संगठन समय समय पर लेखों का प्रकाशन करती है। इन लेखों में दहेज, महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय आदि के बारे में लिखा होता है। दैवीय आपदाओं में भी यह संगठन पूर्ण सहयोग प्रदान करता है।

आर्डिनेन्स फैक्ट्रीज वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन

इस संगठन की स्थापना सन् 1959 में हुई। यह एक देशव्यापी संगठन है। इसके प्रमुख उद्देश्य एवं कार्य हैं–महिलाओं एवं बच्चों के सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलना, प्रौढ़ शिक्षा, लोगों को स्वास्थ्य, सफाई और परिवार नियोजन सम्बन्धी जानकारी प्रदान करना, संगठन के उत्थान के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। संगठन द्वारा समाज कल्याण के विभिन्न कार्यक्रम किये जाते हैं। इसके अंतर्गत परिवार नियोजन, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, दुग्ध वितरण, टीका लगाना आदि। इस संगठन अधिकतर शाखाएँ संगीत, नृत्य, सिलाई, पेंटिंग, बुनाई, टाइपिंग, फल, संरक्षण इत्यादि में प्रशिक्षण देता है।

मानुशी

यह संस्था 1971 से दिल्ली में कार्यरत है। इस संस्था का प्रथम कार्य हिन्दी एवं अंग्रेजी में पत्रिका के रूप में सामने आया। पत्रिका और पुस्तकों के प्रकाशन के अतिरिक्त यह संस्था महिलाओं की समस्याओं और उनके आंदोलनों को बड़े कैनवास के माध्यम से अध्ययन करती है। इस संस्था का उद्देश्य महिलाओं के लिए एक ऐसा मंच बनाना है जहाँ महिलाएं अपनी बातें रख सकें तथा उन सभी सवालों को उठाना है, जिनके कारण समाज में महिलाओं का शोशण होता है। महिला संगठनों एवं कार्यकर्त्ताओं को एकजुट कर विस्तृत बहस करना और महिलाओं की स्थिति पर सूचना इकट्ठा कर प्रकाशित करना तथा इसके माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाना 'मानुशी' का कार्य है। 'मानुशी' द्वारा उन सभी झगड़ों का समाधान का भी प्रयास किया जाता है जो महिलाओं के व्यक्तिगत जीवन को विकृत करते हैं। इस संस्था द्वारा उत्पीड़ित महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता भी प्रदान की जाती है।

कार्मिका

इस एनजीओ का उद्देश्य अशिक्षित और पिछड़ी महिलाओं का विकास करना व उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसके प्रमुख कार्य हैं–महिलाओं को संगठित कर उनमें अपने अस्तित्व को पहचानने की भावना जागृत करना, आवश्यकता पड़ने पर अदालती कार्य करना, महिलाओं को न्याय दिलाने हेतु संघर्ष करना, असंतुलित कानूनों में परिवर्तन के लिए सरकार को प्रेरित करना व सामाजिक योजनाओं में सहभागिता हेतु महिलाओं को शक्तिशाली बनाना। सर्वप्रथम 'कार्मिका' द्वारा ही 1979 में दहेज विरोधी फेडरेशन स्थापित किया गया।

सहेली

प्रारंभ में इस संस्था ने महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर आन्दोलन चलाया तत्पश्चात् उत्पीड़ित महिलाओं को कानूनी सलाह देना प्रारम्भ किया। इसके मुख्य कार्य हैं–जिन महिलाओं को उनके घरों से निकाल दिया गया हो उनके रहने के लिए सुरक्षित स्थान का प्रबन्ध करना, पुलिस के अत्याचार एवं भ्रष्टाचार का विरोध करते हुए भी उनके महिलाओं के मामले में सहयोग लेना उत्पीड़ित या पीड़ित महिलाओं को भावनात्मक सहारा प्रदान करना, इलाज एवं संवर्धन की व्यवस्था करना।

शक्तिशालिनी

महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के कारणों को समाप्त करने के लिए यह संस्था निरंतर कार्यशील रही है। इस संस्था द्वारा प्रारम्भ से ही दहेज हत्याओं के मुद्दों को उठाया गया। इस हेतु पीड़ित परिवारों के निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की गयी। इसका एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य, पीड़ित महिलाओं को आश्रय देना है यह ऐसी महिलाओं को सुरक्षा, सहयोग, कानूनी सलाह व जानकारी तथा जीवनयापन की आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराना है।

अब 20वीं सदी के अन्त में इन एनजीओ का मानवाधिकार के मामले में घनिष्ठ रूप से जुड़ा होना बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गया है। आज मानवाधिकार सक्रियतावादी संगठन वास्तव में दुनिया के सभी देशों में फैले हुए हैं। कतिपय ऐसे हैं जो यातना, मनमाने कारावास और दासता के समकालीन रूपों के विरुद्ध बोल रहे हैं। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को प्रभावित करने, विकास को बढ़ावा देने, बाल श्रम को सीमित करने, बारूदी सुरंगों को प्रतिबन्धित करने तथा महिलाओं और लड़कियों में मानव दुर्भाव निषेध हेतु काम

कर रहे हैं। इन संस्थाओं के प्रयास से अभी इनके प्रति इनमें कमी तो नहीं आई है लेकिन इस समय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आन्दोलन ने जो शक्ति और उत्साह अर्जित कर लिया है, उससे यह आशा बलवती होती है कि अगली सदी में इस क्षेत्र में ज्यादा प्रगति होगी।

संविधान, कानून और महिलाएं–

भारतीय संस्कृति एवं जीवन पद्धिति में मानव अधिकारों की प्रतिष्ठा प्राचीन काल से ही संस्थापित है। महाभारत कालीन साहित्य एंव कौटिल्य आदि के समय में महिलाओं पर प्रहार करना, निरापराधियों को सताना, राज्य प्रतिनिधियों को अपमानित करना, वर्जित माना गया था। समाज एवं परिवार में मानव अधिकरों का आदर करना भारतीय परम्पराओं और आस्था का स्भाविक अंग माना गया है। ब्रिटिश गुलामी के दिनों में भारत के कई क्षेत्रों में विशेषकर ग्रामीण इलाकों में सामन्तवादी प्रवृति का बोलबाला था मालिक वर्ग गरीब मजदूरों से कम परिश्रमिक में अधिक कार्य करवाते थे। कभी कभी तो पशुओं से खराब बदतर व्यवहार किया जाता था। किन्तु स्वतंत्रता के बाद कुछ बदलाव आया। भारतीय संविधान के प्रावधानों ने अमानवीय स्थितियों को समाप्त कर सुव्यवस्थिति एवं सामाजिक सुरक्षा कायम करने का प्रयास किया। संविधान में मानव अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार हैः–

- अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत पुरूष और महिलाओं को आर्थिक, राजनैतिक एंव सामाजिक रूप से समान अधिकार प्राप्त हैं।
- अनुच्छेद 15 के अन्तर्गत राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध धर्म मूलवंश जाति लिगं जन्मस्थल के आधार पर कोई भेदभाव नही करेगा। प्रत्येक नागरिक का मूलभूत कर्त्तव है कि वह महिलाओं पर अत्यचार न होने दें।
- अनुच्छेद 16 के अन्तर्गत पुरूषों एंव महिलाओं को बिना भेदभाव के सार्वजनिक नियुक्तियों तथा रोजगार के सम्बध में समान अवसर का अधिकार है।
- अनुच्छेद–23 के अनुसार नारी के देह व्यापार से उसकी रक्षा की जाये। इस दृष्टि से संप्रेशन ऑफ इम्मोरल ट्रैफिक इन विमेन एण्ड गर्ल्स एक्ट 1956 पारित किया गया।
- अनुच्छेद 39 में पुरूष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त कराने का अधिकार है।
- अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता का उपबन्ध एवं
- अनुच्छेद–51 इसके अर्न्तगत उन सभी बातों का परित्याग करना जो नारी सम्मान के विरूद्ध है।

अनुच्छेद 243 डी में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के एक तिहाई स्थान आरक्षण का प्रावधान एवं संविधान की धारा 243 डी में संशोधन के बाद पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत के बजाय 50 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

निष्कर्ष–

भारत में महिला हिंसा के भयानक स्वरूप के विरूद्ध संघर्ष के लिए और जन जागृति पैदा करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जाना चाहिए। भारत जैसे विकासशील देश में मानव अधिकार का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा हैं जिसके लिए दीर्घकालीन नीति तथा सरकार एवं गैर सरकारी संगठन से सहयोग की जरूरत हैं। समाचार

पत्र समूह, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन आदि मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता लाने की दिशा में प्रभावी एवं सक्रिय भूमिका निर्वाह कर सकते हैं हम सभी को गांधी जी के इस विचार को याद रखने की आवश्यकता है कि–"स्वतंत्र भारत को ऐसा होना चाहिए कि कोई महिला कश्मीर से कन्याकुमारी तक अकेली घूम ले और उसके साथ कोई अशोभनीय घटना न हों"। और साथ ही महिलाओं को अपने जीवन का आधा अंग मानकर स्वीकार करना चाहिए। सैद्यांतिक रूप से महिलाओं के अधिकार में कहीं भी कमी नहीं है लेकिन व्यवहारिकता में कोसों दूर देखा जा रहा है। समाज में मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए कतिपय अधिकारों की आवश्यकता होती हैं जिसके अभाव में उसके व्यक्तित्व का विकास समाज में असंभव है, इन्ही को मानव अधिकार कहा जाता हैं जो कि अन्य असंक्रमय होते है। अतः क्ति और मानवाधिकार को अंर्तराष्ट्रीय समुदाय का जो नियम बनता है, वह अंतराष्ट्रीय विधि होती है। जहां अरस्तु ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना, वह आज के युग में भी लागू हैं परंतु अब कार्यवाही द्वारा मानव अधिकारों को अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे राज्य कार्यवाही पर निर्बंधन आरोपित करते है। महिलाओं के उत्थान में गैर सरकारी संगठनों का अत्यधिक योगदान है। इन संगठनों द्वारा न केवल योजनाएँ बनाई जाती हैं बल्कि इन्हें क्रियान्वित भी किया जाता है। साथ ही साथ इसका भी हमेशा ध्यान रखना जरूरी है कि इनके उन्नयन मानव का कर्तव्य है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

- अमरेश्वर अवस्थी व आर.के. अवस्थी, भारतीय राजनीतिक चिन्तन, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2004
- एस. सुब्रमनियम, 'ह्यूमन राइट इंटरनेशनल चैलेंज, वाल्यूम' 01, मानस पब्लिकेशन, 1997
- गिलक्राइस्ट, 'प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस', लांगमैन, ग्रीन एंड कम्पनी, 2010
- जय जय राम उपाध्याय, मानव अधिकार, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, 2002
- तपेश्वरी प्रसाद त्रिपाठी, 'मानव अधिकार' प्रथम संस्करण, इलाहाबाद लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, 2000
- प्रदीप त्रिपाठी, मानवाधिकार और भारतीय संविधान राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली–2, 2002
- रमेश चन्द्रा, मानवधिकार : विविध आयाम एवं चुनौतियां (2010), अंकित पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010
- राम सिंह सैनी, 'समकालीन परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकारों के विविध आयाम', गगनदीप पब्लिकेशन, दिल्ली, 2007
- सुधारानी श्रीवास्तव व रागिनी श्रीवास्तव, 'मानव अधिकार और महिला उत्पीड़न, कामनवेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2003
- शशि शर्मा, 'राजनीतिक समाजशास्त्र की रूपरेखा', पी.एच.आई. लर्निंग प्रालि, नई दिल्ली, 2010